रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2299] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 10, 2014/कार्तिक 19, 1936
No. 2299] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 10, 2014/KARTIKA 19, 1936

वित्त मंत्रालय
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली,10 नवंबर, 2014

आय-कर

का.आ. 2874(अ) - केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) और उपखंड (viक), धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कक) और धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (vi) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय कर (11वाँ संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय कर नियम, 1962 में,-

(अ) नियम 2ग में,-

(i) उपनियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पश्चात् धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) और उपखंड (v) के अधीन विहित प्राधिकारी प्रधान आयुक्त या आयुक्त होगा जिसे उपनियम (2) में उपबंधित रुप में आवेदन किया जाएगा ।";

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) "मुख्य आयुक्त या महानिदेशक" से ऐसा मुख्य आयुक्त या महानिदेशक अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड किसी निधि या न्यास या संस्था के संबंध में धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करे" ;

(ii) "प्रधान आयुक्त *या आयुक्त*" से ऐसा प्रधान आयुक्त या आयुक्त अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड किसी निधि या न्यास या संस्था के संबंध में धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करे ;

(iii) "विनिर्दिष्ट तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।";

(आ) नियम 2गक में,-

(i) उपनियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पश्चात् धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) और उपखंड (vi*क*) के अधीन विहित प्राधिकारी वह प्रधान आयुक्त या आयुक्त होगा जिसे उपनियम (2) में उपबंधित रुप में आवेदन किया जाएगा ।";

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :--

(i) "स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

"मुख्य आयुक्त या महानिदेशक" से ऐसा मुख्य आयुक्त या महानिदेशक अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, किसी निधि या न्यास या संस्था के संबंध में धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) या उपखंड (vi*क*) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करे ;

(ii) "प्रधान आयुक्त या आयुक्त" से ऐसा प्रधान आयुक्त या आयुक्त अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, किसी निधि या न्यास या संस्था के संबंध में धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) या उपखंड (vi*क*) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करे ;

(iii) "विनिर्दिष्ट तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।";

(इ) नियम 11कक के उपनियम (6) में, "तारीख से जिसको" शब्दों के स्थान पर, "मास के अंत से जिसमें" शब्द रखे जाएंगे ;

(ई) परिशिष्ट 2 में,-

(1) प्ररूप 10क में, मद 1 से 5 के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"1. *न्यास/संस्था का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

2. स्थायी खाता संख्यांक .....

3. पता .....

4. न्यासकर्ता (न्यासकर्ताओं)/संस्थापक (संस्थापकों) का/के नाम और पता/पते .....

5. न्यास के सृजन या संस्था की स्थापना की तारीख .....

6. न्यास (न्यासियों)/प्रबंधक (प्रबंधकों) का/के नाम और पता/पते .....";

(2) प्ररूप 56 के टिप्पण में,-

(क) मद 2 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"2.(क) विनिर्दिष्ट तारीख से पहले फाइल किया गया आवेदन पत्र उस न्यास या संस्था पर अधिकारिता रखने वाले आयकर आयुक्त या आयकर महानिदेशक (छूट) के माध्यम से उस मुख्य आयुक्त या महानिदेशक को भेजा जाना चाहिए जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करे ;

(ख) विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पश्चात् फाइल किया गया आवेदन पत्र उस प्रधान आयुक्त या आयुक्त को भेजा जाना चाहिए जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करे।

आवेदन पत्र की चार प्रतियां, संलग्नकों सहित भेजी जानी चाहिए।";

(ख) मद 4 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"4. आवेदक, कोई भी अन्य दस्तावेज, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी को पेश करेगा।"

(3) प्ररूप 56घ के टिप्पण में,-

(क) मद 1 के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"1(क) विनिर्दिष्ट तारीख से पहले फाइल किया गया आवेदन पत्र इस प्ररूप के क्रम संख्यांक 1 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था पर अधिकारिता रखने वाले आयकर आयुक्त या आयकर महानिदेशक (छूट) के माध्यम से उस मुख्य आयुक्त या महानिदेशक को भेजा जाना चाहिए जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करे ;

(ख) विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पश्चात् फाइल किया गया आवेदन पत्र उस प्रधान आयुक्त या आयुक्त को भेजा जाना चाहिए जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करे।

आवेदन पत्र की चार प्रतियां, संलग्नकों सहित भेजी जानी चाहिए।";

(ख) मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"3. आवेदक, कोई भी अन्य दस्तावेज, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी को पेश करेगा।";

[अधिसूचना सं.61/2014/फा.सं. 142/5/2014-टीपीएल]

आशीष कुमार, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969, तारीख 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार आयकर (10वां संशोधन) नियम, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2556(अ), तारीख 30.09.2014 द्वारा संशोधित किए गए।